



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281]
No. 281]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 30, 2019/श्रावण 8, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 30, 2019/SHRAVANA 8, 1941

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 26 जुलाई, 2019

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियामक सेंडबाक्स) विनियम, 2019

फा.सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/11/162/2019.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 14(2)(ङ) और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए की उपधारा 2 के खंड (जेडडी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियामक सेंडबाक्स) विनियम, 2019 कहलाएँगे।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रचलन में होंगे।

2. उद्देश्य: इन विनियमों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- (1) एक ओर बीमा क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास एवं दूसरी ओर पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के बीच संतुलन उत्पन्न करना, जबकि इसके साथ ही नवोन्मेषण को सुसाध्य बनाना;

(2) विनियामक सैंडबाक्स परिवेश के निर्माण को सुसाध्य बनाना तथा प्राधिकरण द्वारा बनाये गये किन्हीं ऐसे वर्तमान विनियमों के उपबंधों को एक सीमित दायरे और सीमित अवधि के लिए शिथिल करना, यदि ऐसे शिथिलन की आवश्यकता हो।

3. परिभाषाएँ:

(1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

क. “अधिनियम” से बीमा अधिनियम, 1938 अभिप्रेत है;

ख. “आवेदक” में निम्नलिखित शामिल हैं

- i. बीमाकर्ता अथवा
- ii. मध्यवर्ती अथवा बीमा मध्यवर्ती अथवा
- iii. वैयक्तिक को छोड़कर पिछले वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम दस लाख रुपये की निवल मालियत रखनेवाला कोई व्यक्ति
- iv. प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य व्यक्ति

जो भारत में बीमा में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए अकेले अथवा संयुक्त रूप से अनुमति की अपेक्षा करता हो;

ग. “प्राधिकरण” से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

घ. “विनियम” से अधिनियम की धारा 2 (16ए) के अंतर्गत परिभाषित रूप में प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

ड. “विनियामक सैंडबाक्स” से वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में प्रयुक्त परिवेश अभिप्रेत है, जो ऐसे नये व्यावसायिक माडलों, प्रक्रियाओं और अनुप्रयोगों के लिए परीक्षण का आधार उपलब्ध कराता है, जो आवश्यक रूप से वर्तमान विनियमों द्वारा पूर्णतः सम्मिलित नहीं किये गये हों अथवा जो उनका पूर्णतः अनुपालनकर्ता न हों;

च. “सैंडबाक्स परिवेश” से एक विशिष्ट समयावधि के लिए प्रयोग हेतु अभिकल्पित परीक्षण परिवेश अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों, जैसी स्थिति हो, में उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

अध्याय ॥

भारत में बीमा में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए अनुमति की अपेक्षा करने हेतु प्रक्रिया

4. आवेदन की श्रेणियाँ

(1) आवेदक भारत में बीमा में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने अथवा कार्यान्वित करने के लिए अनुमति की अपेक्षा करते हुए निम्नलिखित किसी एक अथवा उससे अधिक श्रेणियों में आवेदन कर सकता है:

(क) बीमा की अपेक्षा (सलिसिटेशन) अथवा वितरण

(ख) बीमा उत्पाद

- (ग) जोखिम-अंकन
- (घ) पालिसी और दावों की सर्विसिंग
- (ड) प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य श्रेणी।

5. भारत में बीमा में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन

- (1) भारत में बीमा में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने अथवा कार्यान्वित करने का इच्छुक आवेदक विनिर्दिष्ट फार्म में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (2) आवेदन के साथ वापस न करने योग्य दस हजार रुपये का प्रसंस्करण शुल्क भेजा जाएगा।
- (3) प्राधिकरण विनियामक सैंडबाक्स दृष्टिकोण के अंतर्गत बीमा क्षेत्र में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए आवेदन आमंत्रित करने में एक सहगण (कोहार्ट) दृष्टिकोण का अनुसरण करेगा।
स्पष्टीकरण: इन विनियमों के प्रयोजन के लिए “कोहार्ट” से घोषित की जानेवाली एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान आवेदकों से प्राप्त आवेदन अभिप्रेत हैं।

6. अनुमति प्रदान करने के लिए शर्तें

- (1) प्राधिकरण का अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदन:
 - (क) भारत में बीमा के लिए लाभकारी नवोन्मेषण को बढ़ावा देता है;
 - (ख) पालिसीधारकों के हित में है;
 - (ग) उद्योग की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए सहायक है;
 - (घ) देश में बीमा व्यापन में वृद्धि को बढ़ावा देगा;
 - (ड) प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य अपेक्षाएँ पूरी करता है,
- इस शर्त के अधीन अनुमति प्रदान कर सकता है कि आवेदक बीमा अधिनियम, 1938 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के संबंधित उपबंधों का अनुपालन करे।
- (2) प्रदत्त अनुमति 6 महीने की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

7. अनुमति का प्रतिसंहरण

- (1) प्राधिकरण का अध्यक्ष इस प्रकार प्रदान की गई अनुमति का प्रतिसंहरण किसी भी समय कर सकता है, यदि उनकी राय में किये जा रहे कार्यकलाप:
 - (क) ऊपर विनियम 6 में दी गई शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं अथवा
 - (ख) बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 और अन्य प्रयोज्य कानूनों के उपबंधों का उल्लंघन कर रहे हैं।

बशर्ते कि अनुमति का प्रतिसंहरण करने से पहले आवेदक को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा।

8. प्रथम अनुमति का समय-विस्तार

- (1) यदि 6 महीने के अंत में आवेदक समय को बढ़ाने की अपेक्षा करता है, तो समय-विस्तार की अपेक्षा करने के लिए कारण व्यक्त करते हुए, प्रस्ताव के संबंध में तब तक के कार्यनिष्पादन के विश्लेषण के साथ प्राधिकरण को एक अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है।

- (2) प्राधिकरण का अध्यक्ष आवेदक के अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।
- (3) किसी भी परिस्थिति में आवेदक को कार्य पूरा करने के लिए 6 महीने से अधिक समय-विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।
- (4) विनियम 7 में उल्लिखित रूप में अनुमति के प्रतिसंहरण से संबंधित खंड आवश्यक परिवर्तनों सहित बढ़ाई गई अवधि के लिए लागू होगा।

9. आंतरिक निगरानी, प्रणालियों और नियंत्रणों की समीक्षा और मूल्यांकन

- (1) अनुमति प्रदान करने के बाद, आवेदक सुनिश्चित करेगा:
 - (क) कि प्रणालियों की संपूर्णता का हर समय अनुरक्षण किया जाएगा।
 - (ख) पालिसीधारक डेटा की गोपनीयता का अनुरक्षण किया जाएगा।
 - (ग) उसके नियंत्रणों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और रक्षोपायों की समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन के लिए पर्याप्त आंतरिक व्यवस्थाएँ विद्यमान हैं।
- (2) जहाँ प्रस्ताव को निष्पादित करने में कोई विचलन पाया जाता है, वहाँ आवेदक प्राधिकरण को तत्काल इसकी सूचना देगा।

10. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव की समीक्षा

- (1) प्राधिकरण संपर्क के एकल स्थान (एसपीओसी) के माध्यम से नियमित अंतरालों पर प्रस्ताव की प्रगति की समीक्षा करेगा।
- (2) प्राधिकरण सुझावों के रूप में तथा उचित समझे जानेवाले किसी अन्य तरीके से आवेदक का मार्गदर्शन भी कर सकता है। तथापि, आवेदक प्रस्ताव के संबंध में किये गये प्रत्येक कार्य के लिए एकमात्र तौर पर उत्तरदायी होगा तथा किन्हीं कानूनी दायित्वों सहित उसके अंतर्गत सभी दायित्व पूरे करने के लिए जिम्मेदार होगा।

11. प्रस्ताव का समापन

- (1) विनिर्दिष्ट प्रस्ताव की आबंटित समयावधि अथवा आकार के पूरे होने पर आवेदक प्राधिकरण को इस संबंध में 15 दिन के अंदर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि प्रस्ताव ने अपने उद्देश्य कैसे पूरे किये हैं और साथ ही पालिसीधारकों से प्राप्त प्रतिसूचना (फ़िडबैक) तथा प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अन्य सूचना अथवा विवरण भी प्रस्तुत करेगा। आवेदक एक कार्य-योजना भी प्रस्तुत करेगा कि प्रस्ताव को कैसे वर्तमान विनियामक ढाँचे के अंतर्गत लाया जाएगा।
- (2) आवेदक की रिपोर्ट की जाँच करने पर यदि प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है कि प्रस्ताव के उद्देश्य पूरे किये गये हैं, तो वह आवेदक को वर्तमान विनियामक ढाँचे के अंतर्गत प्रस्ताव को अपनाने के लिए अनुमति दे सकता है जिसमें बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के उपबंधों के अतिरिक्त सभी विनियम, दिशानिर्देश, परिपत्र, आदि वर्तमान विनियामक ढाँचे की ओर अग्रसर होने की तारीख से लागू होंगे।
- (3) आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जाँच करने पर यदि प्राधिकरण के अध्यक्ष की राय में प्रस्ताव के उद्देश्य पूरे नहीं किये गये हैं, तो आवेदक को निर्देश दिया जा सकता है कि वह प्रस्ताव को बंद करे।
- (4) आवेदक समय से पहले प्रस्ताव के समापन के लिए भी अनुरोध दाखिल कर सकता है, यदि वह महसूस करता है कि प्रस्ताव वांछित उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। प्राधिकरण का अध्यक्ष उक्त अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा तथा तदनुसार अपने द्वारा उचित समझी जानेवाली शर्तों के अधीन आवेदक को सूचित कर सकेगा।
- (5) आवेदक का यह कर्तव्य होगा कि वह सहभागियों के समस्त वैयक्तिक डेटा को मिटा देतथा इस बात का पुष्टीकरण प्राधिकरण को प्रस्तुत करे।

- (6) प्रस्ताव को जारी रखने के लिए अनुमति दी जाए अथवा नहीं, इस संबंध में प्राधिकरण के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

बाढ़ाय ॥॥

12. विनियामक सैंडबाक्स में आवेदक को किसी विनियम के उपबंधों से छूट प्रदान करने के लिए प्राधिकरण की शक्ति-

- (1) प्राधिकरण के अध्यक्ष आवेदक के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किसी/किन्हीं विनियम(मों) के एक या उससे अधिक उपबंधोंया प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए कोई दिशानिर्देश या परिपत्र की प्रयोज्यता से विनियम 6 में उल्लिखित शर्तों और आवश्यक समझी जानेवाली किन्हीं अन्य शर्तों के अधीन छूट दे सकता है।
तथापि, बीमा अधिनियम, 1938 अथवाबीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा किन्हीं अन्य प्रयोज्य संविधियों के अनुपालन के संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

- (2) अधिकतम अवधि जिसके लिए छूट प्रदान की जाएगी, एक वर्ष है।

13. प्राधिकरण की अधिकारी शक्तियाँ

- (1) प्राधिकरण के पास आवेदक से कोई भी दस्तावेज, अभिलेख अथवा पत्रादि मंगाने, उसका निरीक्षण करने अथवा उसकी जाँच करने का अधिकार होगा।
- (2) उपर्युक्त के बावजूद, जहाँ प्राधिकरण की राय हो कि आवेदक के परिचालन भारतीय बाजार अथवा बीमा पालिसीधारकों के हित में नहीं हैं, वहाँ प्राधिकरण के पास प्रदान की गई अनुमति के निलंबन अथवा निरसन सहित उपर्युक्त कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है।
- (3) प्राधिकरण का अध्यक्ष विनियामक सैंडबाक्स, और ऐसे अन्य संगत विषयों से संबंधित परिचालनगत विषयों में उपर्युक्त समझे गये रूप में दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

डॉ. सुभाष सी. खुंटिआ, अध्यक्ष

[विज्ञापन. III/4/असा./161/19]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 26th July, 2019

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019

F. No. IRDAI/Reg/11/162/2019.—In exercise of the powers conferred by clause (zd) of sub-section 2 of Section 114A of the Insurance Act,1938 (4 of 1938) read with Section 14(2)(e) and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations, namely: -

CHAPTER I

1. Short Title and commencement:

- (1) These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019.
- (2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These Regulations shall remain in force for a period of 2 years from the date of publication in the Official Gazette.

2. Objectives: The objectives of these Regulations are:

- (1) To strike a balance between orderly development of insurance sector on one hand and protection of interests of policyholders on the other, while at the same time facilitating innovation;
- (2) To facilitate creation of regulatory sandbox environment and to relax such provisions of any existing

Regulations framed by the Authority for a limited scope and limited duration, if such a relaxation is needed.

3. Definitions:

- (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires: -
 - a. "Act" means the Insurance Act, 1938;
 - b. "Applicant" includes
 - i. an insurer or
 - ii. an intermediary or insurance intermediary or
 - iii. any person other than an individual having a minimum net-worth of ten lakhs rupees for previous financial year or
 - iv. any other person recognized by the Authority seeking singly or jointly permission for promoting innovation in insurance in India;
 - c. "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
 - d. "Regulations" means the Regulations framed by the Authority as defined under Section 2 (16A) of the Act;
 - e. "Regulatory Sandbox" means an environment used in the financial services sector, which provides testing ground for new business models, processes and applications that may not necessarily be covered fully by or are not fully compliant with existing Regulations;
 - f. "Sandbox environment" means a testing environment designed for experimentation for a specific period of time.
- (2) Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) or the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or the Rules or the Regulations notified there under, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or the Rules or the Regulations as the case may be.

CHAPTER II

PROCEDURE FOR SEEKING PERMISSION FOR PROMOTING INNOVATION IN INSURANCE IN INDIA

4. Categories of application

- (1) An applicant may apply to the Authority seeking permission for promoting or implementing innovation in insurance in India in any one or more of the following categories:
 - (a) Insurance Solicitation or Distribution
 - (b) Insurance Products
 - (c) Underwriting
 - (d) Policy and Claims Servicing
 - (e) Any other category recognised by the Authority.

5. Application for grant of permission for promoting innovation in insurance in India

- (1) An applicant desiring to promote or implement innovation in insurance in India shall make an application to the Authority electronically in the specified form.
- (2) The application shall be accompanied by a non-refundable processing fee of ten thousand rupees.
- (3) The Authority shall follow the cohort approach in inviting applications for promoting innovation in insurance sector under the Regulatory Sandbox approach.

Explanation: For the purpose of these Regulations "cohort" means applications received from applicants during a specified period of time to be announced.

6. Conditions for Grant of permission

- (1) The Chairperson of the Authority, on being satisfied that the application:
 - (a) promotes innovation beneficial to insurance in India;

- (b) is in the interest of the policyholders;
- (c) is conducive for the orderly growth of the industry;
- (d) would promote increase in insurance penetration in the country;
- (e) meets any other requirements as specified by the Authority,

may grant permission subject to the applicant complying with the relevant provisions of the Insurance Act, 1938 and the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

(2) The permission granted shall be valid for a period of 6 months.

7. Revocation of permission

(1) The Chairperson of the Authority may revoke the permission so granted at any time, if it is of the view that the activities carried out are:

- (a) not meeting the conditions given in Regulation 6 above or
- (b) in violation of the provisions of the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 and other applicable laws.

Provided that before revoking the permission, the applicant shall be given an opportunity of being heard.

8. Extension of first permission

- (1) If, at the end of 6 months, the applicant seeks extension of time, a request may be made to the Authority citing the reasons for seeking the extension along with a performance analysis of the proposal so far.
- (2) The Chairperson of the Authority may consider the request of the applicant on merits.
- (3) Under no circumstances will the applicant be granted extension of time beyond 6 months to complete the task.
- (4) The clause relating to revocation of permission as mentioned in Regulation 7 shall apply *mutatis mutandis* for the extension period.

9. Internal monitoring, review and evaluation of systems and controls

- (1) After grant of permission, the applicant shall ensure:
 - (a) that the integrity of the systems is maintained at all times.
 - (b) confidentiality of policyholder data is maintained.
 - (c) adequate internal mechanisms are put in place for reviewing, monitoring and evaluating its controls, systems, procedures and safeguards.
- (2) Where any deviation is noticed in executing the proposal, the applicant shall notify the same immediately to the Authority.

10. Review of proposal approved by the Authority

- (1) The Authority, through the single point of contact (SPOC), shall review the progress of the proposal at regular intervals.
- (2) The Authority may also guide the applicant in the form of suggestions and in any other way as it may deem fit. However, the applicant shall be solely responsible for every action taken in respect of the proposal and shall be liable to discharge all the obligations thereunder including any legal obligations.

11. Conclusion of the proposal

- (1) On completion of the allocated time period or size of the proposal specified, the applicant shall submit a report to the Authority within 15 days on how the proposal met the objectives along with feedback from the policyholders and such other information or details as specified by the Authority. The applicant shall also submit a plan of action as to how the proposal be brought under the extant regulatory framework.
- (2) On examining the report of the applicant, if the Authority is satisfied that the objectives of the proposal have been met, it may accord permission to the applicant to adopt the proposal under the extant regulatory framework wherein in addition to provisions of the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, all Regulations, guidelines, circulars, etc. will be applicable from the date of moving to the extant regulatory framework.
- (3) On examining the report submitted by the applicant, if the Chairperson of the Authority is of the view that the objectives of the proposal are not met, the applicant may be directed to discontinue the proposal.

- (4) An applicant may also file for early termination of the proposal in case it is felt that the proposal shall not be able to meet the desired objective. The Chairperson of the Authority shall consider the request on merits and advise the applicant accordingly subject to such conditions as it deems fit.
- (5) It shall be the duty of the applicant to erase all personal data of the participants and give a confirmation to that effect to the Authority.
- (6) The decision of the Chairperson of the Authority on whether or not to allow continuation of the proposal is final.

CHAPTER III

12. Power of the Authority to grant relaxation from the provisions of any Regulations to an applicant in the Regulatory Sandbox –

- (1) The Chairperson of the Authority may relax for the applicant the applicability of one or more provisions of any Regulation(s) notified by the Authority or any guidelines or circulars issued by the Authority, subject to the conditions mentioned in Regulation 6 and any other conditions as deemed necessary.

However, no relaxation shall be offered in respect of compliance with the Insurance Act, 1938 or IRDA Act, 1999 or any other applicable statutes.

- (2) The maximum period for which the relaxation shall be granted is one year.

13. Further powers of the Authority

- (1) The Authority shall have the right to call for, inspect or look into any document, record or communication from the applicant.
- (2) Notwithstanding the above, where the Authority is of the opinion that the operations of the applicant are not in the interest of the Indian market or the insurance policyholders, the Authority reserves the right to take appropriate actions including suspension or cancellation of permission granted.
- (3) The Chairperson of the Authority may issue Guidelines on matters relating to operational issues pertaining to the Regulatory Sandbox, and such other relevant matters as deemed appropriate.

Dr. SUBHASH C. KHUNTIA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./161/19]